



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017/वैशाख 11, 1939

No. 328]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/ VAISAKHA 11, 1939

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 418(अ).—भारत गणराज्य और थाईलैण्ड अधिराज्य के बीच प्रत्यर्पण संबंधी संधि पर 30 मई, 2013 को बैंकाक में हस्ताक्षर किए गए थे और उक्त प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन की लिखतों का बैंकाक में 29 जून, 2015 को आदान-प्रदान किया गया था;

और, जबकि इस संधि के अनुच्छेद 22 के पैरा (2) के उपबंधों के अनुसार 29 जून, 2015 से उक्त प्रत्यर्पण संधि प्रवृत्त हुई;

और, जबकि उक्त प्रत्यर्पण संधि इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, अध्याय-3 के उपबंध से भिन्न, थाईलैण्ड अधिराज्य पर उक्त संधि के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

“भारत गणराज्य और थाईलैण्ड अधिराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि

भारत गणराज्य और थाईलैण्ड अधिराज्य, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "संविदाकारी राष्ट्र" कहा गया है);

अपराधों की रोकथाम करने के प्रयोजन से प्रत्यर्पण संधि निष्पन्न करके दोनों देशों के बीच प्रभावी सहयोग में वृद्धि करने की इच्छा से;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

प्रत्यर्पण का दायित्व

प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र इस संधि के प्रावधानों के अनुसार दूसरे राष्ट्र को ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने का वचन देता है जो किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए संविदाकारी राष्ट्रों में अभियोजन, किसी सजा के आरोपण या निष्पादन के लिए वांछित है।

अनुच्छेद 2

प्रत्यर्पणीय अपराध

1. इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पणीय अपराध वे अपराध हैं जिनके लिए दोनों संविदाकारी देशों के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के कारावास की सजा अथवा किसी अन्य तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने या इससे भी कड़े दंड का प्रावधान है।
2. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो जो किसी सजा के प्रवर्तन अथवा स्वतंत्रता पर किसी अन्य प्रकार के प्रतिबंध के लिए वांछित हो तो प्रत्यर्पण केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब ऐसी सजा की कम से कम छह महीने की अवधि की सजा भुगतना शेष हो।
3. यह तय करने में कि क्या कोई अपराध दोनों संविदाकारी राष्ट्रों के कानूनों के तहत दण्डनीय अपराध है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि:
 - (क) दोनों संविदाकार देशों के कानूनों में किसी कार्य या अपराध कहलाने वाली किसी चूक को अपराध की समान श्रेणी में रखा गया है अथवा उस अपराध के लिए समान शब्दावली का प्रयोग किया गया है।
 - (ख) दोनों संविदाकार देशों के कानूनों के तहत, अपराध के संघटक तत्वों में अंतर हो, तो मांगे गए व्यक्ति के विरुद्ध कथित कार्रवाई या चूक की समग्रता पर विचार किया जाएगा।
4. यदि किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग कराधान, सीमा-शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण अथवा राजस्व से संबंधित किसी अन्य मामले से जुड़े अपराधों के संबंध में की गयी हो, तो इस आधार पर प्रत्यर्पण से इंकार नहीं किया जाएगा कि अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कानून में उसी तरह का कराधान और शुल्क नहीं लगता अथवा उसमें उस तरह के कर, शुल्क, सीमा शुल्क और विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रावधान नहीं है, जैसा कि अनुरोधकर्ता देश के कानून में है।
5. यदि कोई अपराध जिसके लिए एक वर्ष से कम की अवधि के कैद की सजा या स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का दण्ड दिया जा सकता है, तो वह प्रत्यर्पण के अध्यक्षीन होगा बशर्ते कि यह उस प्रत्यर्पणीय अपराध से संबंधित हो, जिसके लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अनुरोध प्रारंभिक अनुरोध के समय ही किया गया था अथवा उसके बाद।
6. किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के करने, ऐसा करने का प्रयास करने अथवा उसमें सहायता करने, लालच देने, उकसाने अथवा सहभागी के रूप में भाग लेने के मामले में भी प्रत्यर्पण प्रदान किया जाएगा।
7. यदि अपराध अनुरोधकर्ता देश के भूभाग के दायरे के बाहर किया गया है, तब भी प्रत्यर्पण किया जाएगा बशर्ते अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून में अपने भू-भाग के दायरे के बाहर सदृश परिस्थितियों में किए गए अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की गयी हो और इस संधि के अन्तर्गत प्रत्यर्पण एवं इसके घरेलू कानून के अन्तर्गत अन्य अपेक्षाएं अन्यथा पूरी होती हों। यदि अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानून में ऐसी व्यवस्था न हो तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अपने विवेकानुसार प्रत्यर्पण की मंजूरी दे सकता है।

अनुच्छेद 3

केन्द्रीय प्राधिकरण

भारत गणराज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण विदेश मंत्रालय और थाईलैण्ड अधिराज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण एटॉर्नी जनरल होंगे। प्रत्येक संविदाकार राष्ट्र केन्द्रीय प्राधिकरण में किसी परिवर्तन की सूचना राजनयिक चैनलों के माध्यम से दूसरे संविदाकार राष्ट्र को देगा।

अनुच्छेद 4

अनिवार्य इंकार के आधार

1. इस संधि के तहत निम्नलिखित में से किसी एक परिस्थिति में प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा:
 - (क) अनुरोधकर्ता राष्ट्र द्वारा जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसे अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा राजनैतिक अपराध के रूप में समझा जाए। किसी राजनैतिक अपराध में निम्नलिखित शामिल नहीं होगा:-
 - (i) अनुरोधकर्ता राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष और उनके परिवार के किसी सदस्य की हत्या करने अथवा ऐसा करने का प्रयास करने अथवा आक्रमण करने अथवा आक्रमण करने का प्रयास करने अथवा स्वतंत्रता से वंचित करने का अपराध;

- (ii) ऐसी कोई कार्रवाई अथवा चूक, जो किसी बहुपक्षीय संधि, जिसका कि दोनों देश पक्षकार हैं, के अंतर्गत क्रिमिनल अपराध हो;
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के पास यह मानने के पर्याप्त आधार हों कि अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा राजनैतिक विचार के आधार पर मुकदमा चलाने या किसी व्यक्ति को सजा सुनाने एवं दंडित करने के प्रयोजन से किया गया है अथवा उन कारणों से मांगे गए व्यक्ति के पद से संबंधित पूर्वाग्रह विद्यमान है।
 3. जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, वह अनुरोधकर्ता राष्ट्र के सैन्य कानून के तहत एकांतिक रूप से एक अपराध है, और उसे अनुरोधकर्ता राष्ट्र के आपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता हो।
 4. जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उस मामले में किसी अभियोजन या सजा का प्रवर्तन अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानूनों के अनुसार व्यपगत हो गया है, अथवा
 5. जिस व्यक्ति के संबंध में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, उसके अपराध के मामले में अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम निर्णय सुना दिया गया हो।

अनुच्छेद 5

विवेकाधीन इंकार के आधार

प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है यदि-

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के पास उस अपराध का क्षेत्राधिकार हो, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है। यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता देश ऐसा करने से मना करता है, तो वह इस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ताकि उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार किया जा सके। इस उद्देश्य से अनुरोधकर्ता राष्ट्र उस अपराध से संबंधित दस्तावेज तथा साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र को प्रस्तुत करेगा। यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारीगण ऐसे मामले में मुकदमा न चलाने का निर्णय करते हैं अथवा किन्हीं कारणों से अभियोजन व्यवहार्य न हो तो, प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाएगा।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में उसी अपराध के लिए मांगे गए व्यक्ति के कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी हो।
3. अपवादात्मक मामले में, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र, अपराध की गंभीरता एवं अनुरोधकर्ता देश के हितों को ध्यान में रखते हुए यह विचार करता है कि मांगे गए व्यक्ति की आयु एवं स्वास्थ्य के मद्देनजर उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण मानवतावादी आधार पर करना उचित नहीं होगा।

अनुच्छेद 6

राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

1. प्रत्येक पक्षकार को अपने राष्ट्रिकों के प्रत्यर्पण से इंकार करने का अधिकार प्राप्त होगा।
2. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में प्रत्यर्पण की मंजूरी नहीं दी जाती है तो प्रत्यर्पण से इंकार के मामले में और अनुरोधकर्ता पक्षकार के अनुरोध पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अनुरोधकर्ता राष्ट्र के अनुरोध पर मामले को अभियोजन हेतु अपने सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। इस प्रयोजन के लिए अनुरोधकर्ता देश मामले से संबंधित साक्ष्य, दस्तावेज अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद- 7

प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध एवं अपेक्षित दस्तावेज

1. प्रत्यर्पण के लिए राजनयिक माध्यम से अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के केन्द्रीय प्राधिकरण को लिखित रूप में अनुरोध किया जाएगा और भेजा जाएगा। किसी अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का प्रामाणीकरण अनुच्छेद 10 के अनुसार किया जाएगा।
2. प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध में निम्नलिखित शामिल होंगे:-
 - (क) जिस व्यक्ति की मांग की गई है उसका विवरण तथा उस व्यक्ति की पहचान, राष्ट्रीयता और संभावित अवस्थिति स्थापित करने में मदद करने वाली कोई सूचना;
 - (ख) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उस अपराध के किए जाने का समय और अवस्थिति सहित तथ्यों का विवरण;

- (ग) कानून का पाठ जिससे प्रत्येक अपराध तथा अधिरोपित शास्ति स्थापित होती हो;
- (घ) इस आशय का विवरण कि क्या कार्यवाही अथवा दण्ड के मामले में अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानूनों के अन्तर्गत कोई सीमा है।
3. यदि अनुरोध मुकदमा चलाए जाने के लिए मांगे गए किसी आरोपी व्यक्ति से संबंधित हो तो इसके साथ अनुरोधकर्ता राष्ट्र के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की एक प्रति भी संलग्न करनी होगी और यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में अपराध किया गया हो तो कोई ऐसा साक्ष्य, प्रस्तुत करना होगा जिससे अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाए जाने के लिए सुपुर्दगी को तर्कसंगत ठहराया जा सके, और साथ ही ऐसा साक्ष्य दिया जाए कि मांगा गया व्यक्ति वही व्यक्ति है, जिससे गिरफ्तारी वारंट संबंधित है।
4. यदि व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो लेकिन सजा नहीं सुनाई गई हो तो इसके साथ दोषसिद्धि के साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले दस्तावेजों तथा फैसले की एक प्रति अथवा दोषसिद्धि का प्रमाणपत्र और गिरफ्तारी वारंट की एक प्रति भी संलग्न होगी।
5. यदि व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और सजा सुनाई गई हो तो इसके साथ सजा सुनाए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करने संबंधी दस्तावेज हो तथा फैसले की एक प्रति अथवा दोषसिद्धि का प्रमाणपत्र और गिरफ्तारी वारंट की एक प्रति और दी गई सजा के साथ एक विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि यह सजा प्रवर्तनीय है, और सजा का कितना भाग पूरा किया जाना बाकी है।

अनुच्छेद 8

अतिरिक्त जानकारी

1. यदि अनुरोधकर्ता राष्ट्र यह मानता है कि अभ्यर्पण के लिए अनुरोध के समर्थन में उपलब्ध कराई गई सूचना पर्याप्त नहीं है तो वह अनुरोध कर सकता है कि यथा अवधि के भीतर अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराई जाए।
2. यदि मांगा गया व्यक्ति गिरफ्तार है और प्रदान की गई अतिरिक्त सूचना संधि के अनुरूप पर्याप्त नहीं है अथवा यह निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई है तो मांगे गए व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। ऐसी रिहाई अनुरोधकर्ता राष्ट्र को उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए नए सिरे से अनुरोध करने से नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद 9

दस्तावेज की भाषा

इस संधि के अनुरूप प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र की राजभाषा में अथवा उसमें अनूदित होंगे।

अनुच्छेद 10

अधिप्रमाणन

1. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध के समर्थन में दस्तावेज, यदि अधिप्रमाणित है; तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के भूभाग में किसी भी कार्यवाही के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे।
2. दस्तावेज इस संधि के प्रयोजन से विधिवत अधिप्रमाणित होंगे यदि वे:
- (क) अनुरोधकर्ता राष्ट्र के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित हों, और
- (ख) अनुरोधकर्ता राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी के सरकारी सील से मुहरबन्द हों।

अनुच्छेद 11

अंतिम गिरफ्तारी

1. आपात स्थिति में, एक संविदाकार राष्ट्र दूसरे संविदाकार राष्ट्र से मांगे गए व्यक्ति की अंतिम गिरफ्तारी हेतु अनुरोध कर सकता है। ऐसा अनुरोध लिखित में होगा और राजनयिक माध्यम से अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के केन्द्रीय प्राधिकरण को संचारित किया जाएगा।

2. अंतिम गिरफ्तारी से संबंधित आवेदन में निम्नलिखित शामिल होगा:-
 - (क) व्यक्ति के प्रत्यर्पण से संबंधित अनुरोध के आशय का संकेत;
 - (ख) तात्कालिकता के कारणों का विवरण;
 - (ग) पहचान, राष्ट्रीयता और संभावित स्थान वितस्थान से संबंधित सूचना तथा व्यक्ति का विवरण;
 - (घ) अपराध और उसके तहत निर्धारित सजा का संक्षिप्त विवरण;
 - (ङ) मामले के तथ्यों के साथ-साथ, यदि संभव हो तो, अपराध का समय और स्थान का संक्षिप्त विवरण;
 - (च) व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी-वारंट या दोषसिद्धि से संबंधित निर्णय का एक विवरण;
3. अनुरोधकर्ता देश को उसके अनुरोध के परिणाम में बिना देरी से अधिसूचित किया जाएगा।
4. ऐसे आवेदन के आधार पर गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति के हिरासत के दिन से 60 दिन की अवधि के समापन के बाद मुक्त कर दिया जाएगा, यदि अनुच्छेद 7 में उल्लिखित संबंधित दस्तावेज और प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध नहीं प्राप्त होता है। यदि तदनुसार प्रत्यर्पण से संबंधित अनुरोध प्राप्त होता है तो वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण से संबंधित प्रक्रियाओं में यह प्रावधान नहीं रोकेंगा।
5. यदि तदनुसार प्रत्यर्पण अनुरोध और समर्थित दस्तावेज प्राप्त होता है तो पैरा 4 के अनुसरण में किसी व्यक्ति की रिहाई का वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 12

आत्मसमर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, जैसे ही निर्णय मिल गया हो, प्रत्यर्पण से संबंधित अनुरोध पर अपने निर्णय के बारे में बिना देरी के अनुरोधकर्ता देश को अधिसूचित करेगा।
2. जहाँ प्रत्यर्पण किया जाता है, संविदाकारी देशों की सहमति के अनुसार, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में प्रस्थान के सुलभ स्थान से व्यक्ति को अभ्यर्पित करेगा।
3. अनुरोधकर्ता देश वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा निर्धारित समय के अंदर अनुरोधप्राप्तकर्ता के देश से हटा लेगा।
4. यदि अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां संविदाकारी देश को प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को अभ्यर्पित करने या हटाने के लिए रोकती हैं तो वह दूसरे संविदाकारी देश को अधिसूचित करेगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुसार संविदाकारी देश समर्पण की नई तारीख के लिए सहमत होंगे।
5. पैरा 3 या पैरा 4 में उल्लिखित सहमत समय सीमा के अंदर यदि वांछित व्यक्ति को नहीं हटाया जाता, तो वांछित व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा।
6. यदि अनुरोधकर्ता देश पैरा 3 या पैरा 4 में उल्लिखित समय सीमा के अंदर वांछित व्यक्ति को हटाने में असफल होता है तो, तदनुसार उसी अपराध के लिए वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध को अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुसार इंकार किया जा सकता है।

अनुच्छेद 13

आस्थगन और अस्थायी अभ्यर्पण

1. जब अनुरोधप्राप्तकर्ता देश ने वांछित व्यक्ति पर कोई कार्रवाई चला दी हो या उसके अलावा किसी अपराध के लिए सजा की हो तो, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, अपने कानून के दायरे के अनुसार, वांछित व्यक्ति को अभ्यर्पित कर सकता है या चल रही कार्रवाई के परिणाम आने तक, या दी गई सजा के कुछ भाग या पूरे को काटने तक, अभ्यर्पण का आस्थगन कर सकता है। अनुरोधप्राप्तकर्ता देश किसी भी प्रकार के आस्थगन के बारे में अनुरोधकर्ता देश को सूचित करेगा।
2. अपने कानून के दायरे के अनुसार अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में सजा काट रहा व्यक्ति यदि प्रत्यर्पण करने योग्य पाया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, संविदाकारी देशों के बीच निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार, अनुरोधकर्ता देश में अभियोग चलाने के मकसद के लिए वांछित व्यक्ति को अस्थायी रूप से अभ्यर्पित कर सकता है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अस्थायी अभ्यर्पण के अनुसार अनुरोधप्राप्तकर्ता देश वापस आता है तो उसे यदि कोई सजा दी गयी है तो उसे काटने के लिए अंतिम रूप से अनुरोधकर्ता देश को अभ्यर्पित किया जाएगा।

अनुच्छेद 14**समवर्ती अनुरोध**

1. जहाँ एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए दो या दो से अधिक देशों से अनुरोध प्राप्त होता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य तय करेगा कि किन देशों को व्यक्ति को प्रत्यर्पित करना है और अपने निर्णय से अनुरोधकर्ता राज्य को अधिसूचित करेगा।
2. व्यक्ति को किस देश को प्रत्यर्पित करना है, यह निर्णय लेने में, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करेगा, खासतौर पर:
 - (क) द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का होना,
 - (ख) यदि अनुरोध विभिन्न अपराधों से संबंधित है, तो अपराधों की सापेक्षिक गंभीरता,
 - (ग) प्रत्येक अपराध को करने का समय और स्थान,
 - (घ) अनुरोधों की क्रमानुसार तिथियां,
 - (ङ) व्यक्ति की राष्ट्रीयता,
 - (च) व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान, और
 - (छ) अनुरोधकर्ता देश द्वारा व्यक्ति को किसी अन्य देश को प्रत्यर्पित करने की संभावनाएं।

अनुच्छेद 15**विशिष्टता नियम**

1. इस संधि के तहत प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई, सजा, कारावास नहीं दिया जा सकता या किसी तीसरे देश को पुनः प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता या आत्मसमर्पण से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए अनुरोधकर्ता देश के क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, सिवाय इनके:-
 - (क) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण किया गया था;
 - (ख) अन्य किसी प्रत्यर्पण योग्य अपराध जिसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता देश सहमत है। सहमति के लिए अनुरोध के साथ अनुच्छेद 7 में वर्णित दस्तावेज भी होने चाहिए जैसा कि अनुरोधप्राप्तकर्ता देश मांगता है।
2. इस अनुच्छेद का पैरा 1 लागू नहीं होता यदि-
 - (क) अनुरोधकर्ता देश के क्षेत्र को छोड़ने का अवसर व्यक्ति को मिला हो और उस अपराध करने से पैंतालिस दिनों के अन्दर ऐसा न कर पाया हो, जिसके लिए व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया था; या
 - (ख) अनुरोधकर्ता देश छोड़ने के बाद व्यक्ति स्वेच्छा से उस क्षेत्र से वापस आ गया हो।

अनुच्छेद 16**सम्पति का अभ्यर्पण**

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, जहां तक उसका कानून अनुमति देता है और अनुरोधकर्ता देश के अनुरोध पर, सम्पति जब्त कर सकता है और प्रत्यर्पण प्रदान करने के बाद, सम्पति समर्पित कर सकता है:-
 - (क) साक्ष्य के रूप जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है;
 - (ख) अपराध के फलस्वरूप जिसे अर्जित किया गया है और जो कि हिरासत के समय वांछित व्यक्ति के पास पाया गया या तदनुसार पता चला।
2. वांछित व्यक्ति की मृत्यु, गुमशुदगी या फरार हो जाने के कारण प्रत्यर्पण प्रदान करने के बाद उसे लागू नहीं किए जाने की स्थिति में भी इस अनुच्छेद के पैरा 1 में वर्णित सम्पति को समर्पित किया जाएगा।
3. जब अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के क्षेत्र में उक्त सम्पति की जब्ती या अधिग्रहण होना हो, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश तब, लंबित फौजदारी कार्रवाई के संबंध में, अस्थाई तौर पर इसे रख सकता है या इस शर्त पर समर्पित कर सकता है कि उसे वापस कर दिया जाएगा।

- उक्त सम्पत्ति में अनुरोधप्राप्तकर्ता देश या किसी भी देश या व्यक्ति ने यदि कोई अधिकार अर्जित किया है तो उस सम्पत्ति को संरक्षित रखा जाएगा। जहाँ यह अधिकार विद्यमान है, वहाँ कार्यवाही के अंत में अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के अनुरोध पर बिना किसी शुल्क के सम्पत्ति वापस कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 17

प्रत्यर्पण की सरलतम प्रक्रिया

- यदि वांछित व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्पष्ट सहमति दिखाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अपने कानून के अनुसार प्रत्यर्पण प्रदान कर सकता है।
- इस अनुच्छेद के अनुसरण में अभ्यर्पित व्यक्ति पर अनुच्छेद 12 और 16 के प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद 18

पारगमन

- जब किसी व्यक्ति को तीसरे देश से संविदाकारी देश को किसी अन्य संविदाकारी देश के क्षेत्र से होकर प्रत्यर्पित किया जाता है तो, पहले वाला संविदाकारी देश बाद वाले देश से पारगमन की अनुमति के लिए अनुरोध करेगा।
- प्रत्येक संविदाकारी देश, दूसरे संविदाकारी देश द्वारा पारगमन के लिए किए गए अनुरोध को मंजूर करेगा, बशर्ते वह उसके कानून के विरुद्ध न हो।

अनुच्छेद 19

सहयोग और व्यय

- प्रत्यर्पण से संबंधित अनुरोध के कारण किसी भी कार्रवाई से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध एवं व्यय की पूर्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता देश करेगा और अन्य प्रकारेण अनुरोधकर्ता देश के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा।
- वांछित व्यक्ति के समर्पण होने तक अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के क्षेत्र में प्रत्यर्पण से संबंधित कार्रवाई से लेकर अभ्यर्पण के समय तक वांछित व्यक्ति की हिरासत और कैद पर हुए खर्च का वहन अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा किया जाएगा।
- अनुरोधकर्ता देश, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के क्षेत्र से वांछित व्यक्ति को ले जाने से संबंधित खर्च का वहन करेगा।
- यदि यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्पण के अनुरोध के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय हो तो संविदाकारी देश परामर्श करके यह निर्णय लेंगे कि इन खर्चों को कैसे पूरा किया जाएगा।

अनुच्छेद 20

बहुपक्षीय संधियों के तहत अधिकार और बाध्यताएं

बहुपक्षीय संधियों, जिसके दोनों संविदाकारी देश पक्षकार हैं, के संदर्भ में संविदाकारी देशों के अधिकारों और बाध्यताओं पर इस संधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 21

विवादों का निपटारण

इस संधि के कार्यान्वयन या निर्वचन से उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा संविदाकारी देशों के बीच आपसी परामर्श या बातचीत के द्वारा होगा।

अनुच्छेद 22

अंतिम प्रावधान

- इस संधि के प्रावधान इसके लागू होने के बाद अपराध करने की तारीख या अनुरोध में शामिल अपराधों के बावजूद प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध के साथ-साथ अंतिम हिरासत के लिए अनुरोध के लिए लागू होगा।
- यह संधि अनुसमर्थन की शर्त पर है तथा जैसे ही संभव होगा अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाएगा। अनुसमर्थन के दस्तावेजों के विनिमय की तिथि से यह संधि लागू होगी।
- दोनों में से कोई भी संविदाकारी देश, दूसरे देश को राजनयिक माध्यमों से किसी भी समय लिखित सूचना देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में दूसरे संविदाकारी देश को इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने के एक सौ अस्सीवें दिन के बाद संधि का प्रभाव खत्म हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप अपनी-अपनी सरकारों द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत होकर अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इस संधि को सम्पन्न किया।

वर्ष दो हजार तेरह के मई माह के तीसवें दिन को बैंकाक में हिंदी, थाई और अंग्रेजी भाषाओं में सम्पन्न सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।”

भारत गणराज्य की ओर से
(सलमान खुरशीद)
विदेश मंत्री

थाईलैण्ड अधिराज्य की ओर से
(सुरापाँग तोवी चकचायकुल)
उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री
[सं. टी-413/17/1995 (पार्ट)]
उपेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2017

G.S.R. 418(E).—WHEREAS, the Treaty between the Republic of India and the Kingdom of Thailand on Extradition was signed at Bangkok on 30th day of May, 2013 and the Instruments of Ratifications of the said Extradition Treaty were exchanged at Bangkok on 29th June, 2015;

AND WHEREAS, the said Extradition Treaty entered into force with effect from the 29th day of June, 2015 in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 22 of the Treaty;

AND WHEREAS, the said Extradition Treaty is specified in the Schedule to this Order;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the Kingdom of Thailand with effect from the date of entry into force of the said Extradition Treaty.

SCHEDULE

“TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE KINGDOM OF THAILAND ON EXTRADITION

The Republic of India and the Kingdom of Thailand (hereinafter referred to as “the Contracting States”);

Desirous of promoting effective cooperation between the two countries in the suppression of crime by concluding a treaty on extradition;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Obligation to Extradite

The Contracting States undertake to extradite to each other, in accordance with the provisions of this Treaty, persons found in the territory of one of the Contracting States who are wanted for prosecution, trial or for the imposition or execution of punishment in the territory of the other State for an extraditable offence.

ARTICLE 2

Extraditable Offences

1. For the purposes of this Treaty, extraditable offences are offences that are punishable under the laws of both Contracting States by imprisonment or any other form of deprivation of liberty for a period of at least one year, or by a more severe penalty.

2. Where the request for extradition relates to a person who is wanted for the enforcement of a sentence of imprisonment or any other form of deprivation of liberty imposed for such an offence, extradition shall be granted only if a period of at least six months of such sentence remains to be served.
3. In determining whether an offence is an offence punishable under the laws of both Contracting States, it shall not matter whether:
 - (a) the laws of both Contracting States place the acts or omission constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology;
 - (b) under the laws of both Contracting States, the constituent elements of the offence differ, the totality of the acts or omission alleged against the person sought shall be taken into account.
4. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matter, extradition may not be refused on the ground that the law of the Requested State does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, customs, or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting State.
5. An offence which is punishable by imprisonment, or any other forms of deprivation of liberty for a period of less than one year may be subject to extradition if it relates to the extraditable offence for which the extradition has been granted, irrespective of whether the request was made at the same time as the initial request or afterwards.
6. Extradition shall also be granted in respect of an attempt to commit, or aiding, abetting, inciting or participating as an accomplice in the commission of an extraditable offence.
7. If the offence has been committed outside the territory of the Requesting State, extradition shall be granted if the laws of the Requested State provide for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances, and if the requirements of extradition under this Treaty, and its domestic laws are otherwise met. If the laws of the Requested State do not so provide, the Requested State may, at its discretion, grant extradition.

ARTICLE 3

Central Authorities

The Central Authority for the Republic of India shall be the Ministry of External Affairs and the Central Authority for the Kingdom of Thailand shall be the Attorney General. Each Contracting State shall inform the other Contracting State of any change of the Central Authority through diplomatic channels.

ARTICLE 4

Grounds for Mandatory Refusal

Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:

1. The Requested State considers the offence for which the request for extradition is made by the Requesting State as a political offence. Reference to a political offence shall not include the following:
 - (a) taking or attempt to take the life or an attack, or an attempt to attack on the person or deprivation of liberty of the Head of State or the Head of Government of the Requesting State or a member of his or her family;
 - (b) any acts or omissions which are punishable as a criminal offence according to the obligations under multilateral treaties to which both Contracting States are party;
2. The Requested State has substantial grounds for believing that a request for extradition for a criminal offence has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality or political opinion or that the position of the person sought may be prejudiced for those reasons;
3. The offence for which the request for extradition is made is exclusively an offence under the military law of the Requesting State and does not constitute an offence under the criminal law of the Requesting State;

4. The prosecution or the enforcement of a sentence in respect of the offence for which extradition is requested has become barred by lapse of time according to the laws of the Requesting State; or
5. There has been a final judgment rendered against the person in the Requested State in respect of the offence for which the person's extradition is requested.

ARTICLE 5

Grounds for Discretionary Refusal

Extradition may be refused if:

1. the Requested State has jurisdiction over the offence for which extradition is requested. If the Requested State so refuses, it shall submit the case to its competent authorities in order that proceedings for prosecution of the person may be considered. For this purpose, the Requesting State shall submit documents and evidence relating to the offence for which extradition is requested to the Requested State. If the competent authorities of the Requested State decide not to prosecute in such a case or the prosecution is not feasible because of whatever reason, the request for extradition shall be reconsidered;
2. the Requested State is in the process of proceeding against the person sought in respect of the same offence;
3. in exceptional cases, the Requested State while taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting State deems that, because of the age or health of the person sought, the extradition would be incompatible with humanitarian considerations.

ARTICLE 6

Extradition of Nationals

1. Each Contracting State shall have the right to refuse extradition of its own nationals.
2. If extradition is not granted pursuant to paragraph 1 of this Article, the Requested State shall, at the request of the Requesting State, submit the case to its competent authority for prosecution. For this purpose, the Requesting State shall submit documents and evidence relating to the case to the Requested State.

ARTICLE 7

Request for Extradition and Required Documents

1. A request for extradition shall be made in writing and transmitted to the Central Authority of the Requested State through diplomatic channels. All documents submitted in support of a request for extradition shall be authenticated in accordance with Article 10.
2. The request for extradition shall be accompanied by:
 - (a) a description of the person sought, together with any other information which would help to establish the person's identity, nationality and probable location;
 - (b) a statement of facts, including time and location of the commission of the offence for which extradition is requested;
 - (c) the text of laws establishing each offence and describing the penalty which may be imposed; and
 - (d) a statement as to whether there is any limitation under the laws of the Requesting State in respect of proceedings or punishment.
3. If the request relates to an accused person sought for prosecution, it shall also be accompanied by a copy of the warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State and by such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify his committal for prosecution if the offence had been committed in the territory of the Requested State, including evidence that the person sought is the person to whom the warrant of arrest refers.
4. If the person has been convicted of an offence but no sentence has been imposed, it shall also be accompanied by documents providing evidence of the conviction including a copy of the judgment or certificate of conviction and a copy of the warrant of arrest.

5. If the person has been convicted of an offence and has been sentenced, it shall also be accompanied by documents providing evidence of the conviction including a copy of the judgment or certificate of conviction and a copy of the warrant of arrest and the sentence imposed including a statement indicating the sentence is enforceable and how much of the sentence remains to be served.

ARTICLE 8

Additional Information

1. If the Requested State considers that the information provided in support of a request for surrender is not sufficient, it may request that additional information be furnished within such time as it specifies.
2. If the person sought is under arrest and the additional information furnished is not sufficient in accordance with this Treaty or is not received within the time specified, the person sought may be released. Such release shall not preclude the Requesting State from making a fresh request for the extradition of the person.

ARTICLE 9

Language of Documentation

All documents submitted in accordance with this Treaty shall be in, or translated into, an official language of the Requested State.

ARTICLE 10

Authentication

1. Documents supporting a request for extradition shall be admitted in evidence, if authenticated, in any proceedings in the territory of the Requested State.
2. Documents are duly authenticated for the purposes of this Treaty if they purport to be:
 - (a) signed or certified by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State, and
 - (b) sealed with the official seal of a competent authority of the Requesting State.

ARTICLE 11

Provisional Arrest

1. In case of urgency, one Contracting State may request the other Contracting State to provisionally arrest the person sought. Such a request shall be made in writing and transmitted to the Central Authority of the Requested State through diplomatic channels.
2. The application for provisional arrest shall contain:
 - (a) an indication of intention to request the extradition of the person;
 - (b) a statement about the reason for urgency;
 - (c) information concerning identity, nationality and probable location and a description of the person;
 - (d) a brief description of the offence and the punishment prescribed there under;
 - (e) A brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and the location of the offence; and
 - (f) a statement of the existence of a warrant of arrest or a judgment of conviction against the person.
3. The Requesting State shall be notified without delay of the result of its request.
4. A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of that person's arrest if a request for extradition and supporting documents specified in Article 7, have not been received. This provision shall not prevent the institution of proceedings to extradite the person sought if the request for extradition is subsequently received.
5. The release of a person pursuant to paragraph 4 shall not prejudice the extradition of the person sought if the extradition request and supporting documents are subsequently received.

ARTICLE 12**Surrender**

1. The Requested State shall notify the Requesting State without delay of its decision on the request for extradition, as soon as a decision has been made.
2. Where extradition is granted, the Requested State shall surrender the person from a convenient point of departure in the Requested State as agreed by the Contracting States.
3. The Requesting State shall remove the person sought from the territory of the Requested State within the period specified by the Requested State.
4. If circumstances beyond its control prevent a Contracting State from surrendering or removing the person to be extradited, it shall notify the other Contracting State. The Contracting States shall agree upon a new date of surrender, in accordance with the law of the Requested State.
5. If the person sought is not removed within the agreed period specified in paragraph 3 or paragraph 4, the person sought shall be released.
6. If the Requesting State fails to remove the person sought within the period specified in paragraph 3 or paragraph 4, the subsequent request for extradition of the person sought for the same offence may be refused in accordance with the law of the Requested State.

ARTICLE 13**Postponed and Temporary Surrender**

1. When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested State for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested State may, to the extent permitted by its law, surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceedings or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested State shall inform the Requesting State of any postponement.
2. To the extent permitted by its law, where a person serving a sentence in the Requested State has been found extraditable, the Requested State may temporarily surrender the person sought for the purpose of prosecution to the Requesting State in accordance with conditions to be determined between the Contracting States. A person who is returned to the Requested State following a temporary surrender may be finally surrendered to the Requesting State to serve any sentence imposed, in accordance with the provisions of this Treaty.

ARTICLE 14**Concurrent Requests**

1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person, the Requested State shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify the Requesting State of its decision.
2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested State shall have regard to all relevant circumstances and, in particular, to:
 - (a) the existence of a bilateral extradition treaty;
 - (b) if the requests relate to different offences, the relative seriousness of the offences;
 - (c) the time and place of commission of each offence;
 - (d) the respective dates of the requests;
 - (e) the nationality of the person;
 - (f) the ordinary place of residence of the person; and
 - (g) the possibility of any of the Requesting States extraditing the person to another State.

ARTICLE 15**Rule of Speciality**

1. A person extradited under this Treaty shall not be proceeded against, sentenced, detained, re-extradited to a third State or subjected to any other restriction of personal liberty in the territory of the Requesting State for any offence committed before surrender other than:
 - (a) an offence for which extradition was granted;
 - (b) any other extraditable offence in respect of which the Requested State consents. A request for consent shall be accompanied by such of the documents mentioned in Article 7 as are sought by the Requested State.
2. Paragraph 1 of this Article does not apply if:
 - (a) the person has had an opportunity to leave the territory of the Requesting State and has not done so within forty-five days of final discharge in respect of the offence for which the person was extradited; or
 - (b) the person has voluntarily returned to the territory of the Requesting State after leaving it.

ARTICLE 16**Surrender of Property**

1. The Requested State shall, insofar as its law permits and at the request of the Requesting State, seize and, upon the granting of the extradition, surrender property:
 - (a) Which may be required as evidence; or
 - (b) Which has been acquired as a result of the offence and which, at the time of the arrest, is found in the possession of the person sought or which is subsequently detected.
2. The property mentioned in paragraph 1 of this Article shall be surrendered even if extradition, having been granted, cannot be carried out due to the death, disappearance, or escape of the person sought.
3. When the said property is liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the Requested State may, in connection with pending criminal proceedings, temporarily retain it or surrender it on condition that it be returned.
4. Any right which the Requested State or any State or individual may have acquired in the said property shall be preserved. Where these rights exist, the property shall be returned without charge to the Requested State at its request as soon as possible after the end of the proceedings.

ARTICLE 17**Simplified Procedure for Extradition**

1. The Requested State may grant extradition, in accordance with its law, if the person sought explicitly consents before a competent authority.
2. The provisions of Articles 12 and 16 shall apply to a person surrendered pursuant to this Article.

ARTICLE 18**Transit**

1. When a person is to be extradited to a Contracting State from a third State through the territory of the other Contracting State, the former Contracting State shall request the latter to permit the transit.
2. Each Contracting State shall grant the request for transit made by the other Contracting State, provided that it is not against its law.

ARTICLE 19**Assistance and Expenses**

1. The Requested State shall make all necessary arrangements for and meet the cost of any proceedings arising out of a request for extradition and shall otherwise represent the interests of the Requesting State.

2. Expenses incurred in the territory of the Requested State relating to the extradition proceedings up to the moment of surrender of the person sought, including the arrest and detention of the person sought, shall be borne by the Requested State.
3. The Requesting State shall bear the expenses incurred in conveying the person sought from the territory of the Requested State.
4. If it becomes apparent that exceptional expenses may be incurred as a result of a request for extradition, the Contracting States shall consult with a view to deciding how these expenses will be met.

ARTICLE 20

Rights and Obligations under Multilateral Treaties

This Treaty shall not affect any rights and obligations of the Contracting States arising under Multilateral Treaties to which both Contracting States are party.

ARTICLE 21

Settlement of Disputes

Any dispute arising from the implementation or interpretation of this Treaty shall be settled by mutual consultation or negotiation between the Contracting States.

ARTICLE 22

Final Provisions

1. The provisions of this Treaty shall apply to requests for extradition including requests for provisional arrest made after its entry into force regardless of the date of the commission of the offence or offences set out in the request.
2. This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.
3. Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice in writing to the other Contracting State through diplomatic channels. In that event the Treaty shall cease to have effect on the one hundred and eightieth day from the date on which the other Contracting State receives such notice.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Bangkok this Thirtieth day of May Two thousand and Thirteen in the Hindi, Thai, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.”

FOR THE REPUBLIC OF

INDIA

(Salman Khurshid)

Minister of External Affairs

FOR THE KINGDOM OF

THAILAND

(Surapong Tovichakchaikul)

Deputy Prime Minister and

Minister of Foreign Affairs

[No. T-413/17/1995 (Pt.)]

UPENDER SINGH RAWAT, Jt. Secy. (CPV)